फैक्स/ई0मेल/शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः जन॰ 54 /छः-पु0-5-2016

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांकः 18 फरवरी, 2016

विषय- हर्ष फायरिंग रोकने एवं व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों का दुरूपयोग न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों के दुरूपयोग की घटना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित होती रहती है, अभी हाल ही में जनपद शामली में हर्ष फायरिंग की घटित घटना में एक बच्चे की मृत्यु हो गयी है। इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रदेश से भी समय-समय से सूचनाएँ समाचार पत्रों/न्यूज चैनलों के माध्यम से शासन के संज्ञान में आता रहता है। शस्त्र लाइसेंस व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु प्रदान किये जाते हैं। लाइसेंसी का यह दायित्व होता है कि वह कोई ऐसा कृत्य न करे, जो अन्य व्यक्तियों के लिए हानिकारक अथवा असुविधाजनक हो। कतिपय व्यक्तियों द्वारा हर्ष फायरिंग अथवा सार्वजनिक स्थलों पर फायरिंग किये जाने से जन सामान्य में भय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त होती है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृत किये जाते है इनका प्रयोग शादी-विवाह अथवा सार्वजनिक स्थानों अथवा जीत के जश्न पर प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए ऐसा किये जाने से जनता में भय का वातावरण व्याप्त होता है, जो व्यक्ति शस्त्रों का प्रयोग प्रदर्शन हेतु अथवा जनता में भय व्याप्त करते हुए पाये जाये, उनके शस्त्र लाइसेंस को लाइसेंस की शर्तों एवं आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 1962 की सुसंगत धाराओं के अधीन तत्काल निरस्त करने हेतु विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाये तथा ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर विराम लगाया जा सके। एक अभियान चलाकर ऐसे व्यक्तियों के लाइसेंस भी निरस्त करने हेतु विधिक कार्यवाही की जाये, जो अपराधिक छवि के हैं तथा जिनके द्वारा शस्त्र लाइसेंस का दुरूपयोग सम्भावित है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने हेतु उपरोक्तानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए साथ ही उक्त घटनाएँ रोकने में

असफल थानाध्यक्षों के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाए तथा कृत कार्यवाही समय-समय पर शासन को भी सूचित किया जाए। उक्त अभियान/कार्यवाही के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि शन्तिप्रिय नागरिकों व लाइसेंसधारकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त परिक्षेत्रीय, पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कर्ण सिंह चौहान)
विशेष सचिव